



विकसित भारत  
अभियान  
1947 TO 2047

कार्यालय मुख्य आयुक्त  
Office of the Chief Commissioner  
सीजीएसटी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (जयपुर परिक्षेत्र), जयपुर  
CGST & Central Excise (Jaipur Zone), Jaipur  
(Cadre Control Unit)

फा. सं. II-3(2)सीसीयू/जेजेड/2026/ ५६

दिनांक: 01.01.2026

स्थापना आदेश संख्या सीसीयू – 02/2026  
ESTABLISHMENT ORDER NO. CCU – 02/2026  
दिनांक : 01.01.2026  
DATED: 01.01.2026

निम्नलिखित कर सहायक को, पैनल/रिक्ति वर्ष 2026 के लिए, वेतन मैट्रिक्स स्तर-6 (रु. 35,400/- से रु. 1,12,400/-) तथा अन्य स्वीकृत भत्तों सहित, जैसे भी देय हैं, कार्यकारी सहायक, समूह 'बी' (अराजपत्रित) की श्रेणी में, कार्यकारी सहायक पद पर पदभार ग्रहण करने की तिथि से, नियमित आधार पर, पदोन्नत किया जाता है:

The following Tax Assistant is hereby promoted to the grade of Executive Assistant, Group 'B' (Non-Gazetted), in Level-6 of Pay Matrix Rs. 35,400/- to Rs.1,12,400/- plus other allowances, as admissible, for the panel/vacancy year 2026 on regular basis, with effect from the date of assumption of the charge of the promoted post:

Sl. No.	Name of the Officer	Date of Birth	Present Place of Posting (Commissionerate)
1	2	3	4
1.	Shri Varun Dev Ameria	16.01.81	CGST Udaipur

2. उपरोक्त अधिकारी की पदोन्नति "इन-सीट" आधार पर की जाती है अर्थात् उक्त अधिकारी कार्यकारी सहायक, समूह 'बी' (अराजपत्रित) उसी स्थान पर काम करना जारी रखेगा, जहां वह वर्तमान में पदस्थापित है, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा कार्यकारी सहायक, समूह 'बी' (अराजपत्रित) के लिए उनके पदस्थापना आदेश जारी नहीं किए जाते हैं।

*Handwritten signature*  
01/01/26



The promotion of the aforesaid officer is made on "IN-SITU" basis i.e. such Executive Assistant, Group 'B' (Non-Gazetted) shall continue to work at the same place where he is presently posted till his posting orders for Executive Assistant, Group 'B' (Non-Gazetted) is issued by the Competent Authority.

3. उपरोक्त पदोन्नति पर, पदोन्नति पद में वेतन निर्धारण के विकल्प का लाभ, यदि देय हो, डीओपीटी के कार्यालय ज्ञापन संख्या डीओपीटी-1667551701810 दिनांक 13 सितंबर 2022 में निहित प्रावधानों के अनुसार उपरोक्त नामित अधिकारी को उपलब्ध होगा। यदि विकल्प का लाभ देय है, तो वे विकल्प का प्रयोग उनकी पदोन्नति की तारीख से एक महीने के भीतर कर सकते हैं। निर्धारित अवधि के बाद विकल्प प्रस्तुत करने में विलंब के क्षमादान के लिए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

On promotion, benefit of option for fixation of pay in the promotional post, if admissible, shall be available to the officer named above in terms of provisions contained in the DoPT's O.M. No. DOPT-1667551701810 dated 13<sup>th</sup> September 2022. He may exercise the option, if benefit of the same is admissible, within one month from the date of his promotion. No request for condonation of delay in submitting the option after the stipulated period will be entertained.

4. उल्लेखित अधिकारी की उपरोक्त पदोन्नति, श्री मान सिंह और अन्य द्वारा माननीय केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, जयपुर बेंच के समक्ष दायर ओ. ऐ. संख्या 672/2024 के अंतिम परिणाम के अधीन है।

The promotion of the aforesaid order is subject to the final outcome of O.A. No. 672/2024 filed by Shri Man Singh and others before Hon'ble CAT Bench, Jaipur.

5. उल्लेखित अधिकारी की उपरोक्त पदोन्नति, पदोन्नति में आरक्षण के मामले में जरनैल सिंह बेंच के मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित किए जाने वाले आगामी आदेशों के अधीन होगी।

The promotion of the aforesaid officer shall be subject to further orders which may be passed by the Hon'ble Supreme Court in the Jarnail Singh batch of cases in the matter of reservation in promotion.

6. उपरोक्त अधिकारी की पदोन्नति, वर्तमान में लंबित किसी भी मुकदमेबाजी/मामलों आदि या जोकि किसी भी न्यायिक मंच के समक्ष वरिष्ठता/पदोन्नति/आरक्षण के मुद्दे पर भविष्य में उत्पन्न हो सकते हैं, के परिणाम के अधीन है।

The promotion of the aforesaid officer is subject to outcome of any litigation/cases etc. pending presently or which may arise in future on the issue of seniority/promotion/reservation before any judicial forum.

N. K. Singh  
01/01/26



7. अधिकारी को सतर्कता की दृष्टि से कोई आपत्ति नहीं होने पर ही, पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी जानी चाहिए ।

The officer should be allowed to join the promoted post, if clear from the vigilance angle.

यह सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है ।

This issues with the approval of the competent authority.

Nishtha  
01/01/26  
(निष्ठा शर्मा)

संयुक्त आयुक्त  
(Nishtha Sharma)  
Joint Commissioner

फा. सं. II-3(2)सीसीयू/जेजेड/2026/ ५६

दिनांक: 01.01.2026

प्रतिलिपि सूचना और आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. संबंधित अधिकारी।
2. प्रधान आयुक्त / आयुक्त, सीजीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, जयपुर/जोधपुर/उदयपुर/अलवर/ऑडिट जयपुर/ऑडिट जोधपुर/अपील जयपुर/अपील जोधपुर/सीमा शुल्क जोधपुर (मुख्यालय - जयपुर)।
3. अधीक्षक (प्रशासन)(सतर्कता), सीसीओ, जयपुर।
4. मुख्य लेखाधिकारी / वेतन एवं लेखाधिकारी/अधीक्षक(सतर्कता)/प्रशासनिक अधिकारी (मुख्यालय/स्था/डीडीओ) सीजीएसटी उदयपुर (सभी संबंधित कृपया विभागीय वेबसाइट से आदेश डाउनलोड कर सकते हैं)।
5. सर्विस बुक / गार्ड फाइल / नोटिस बोर्ड / संबंधित कर्मचारी संघ।
6. जोनल वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु, वेबमास्टर।

Nishtha  
01/01/26  
संयुक्त आयुक्त